

सू. नं. 79/2020 रामलोकप कर्म बन्नाम नानू कर्म

28/10/20 प्रसादडिंग ऑफिसर दौरे / जन्तवारा पर अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/11/20 को पेश हो।

18/11/20 वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत 02/12/20 को पेश हो।

प्रायालय
ख्या 79/2020

दिनांक आजा या कार्यवाही

02/12/20 व.फ. उपवा अध्यायी सं. 2 का जकाव पूर्व में पेश हो चुका है। अध्यायी सं. 1, 3, 4 की शर्तें ए.डी. की शर्तों से अधिक की ओर एक माह अधिक की हो चुकी है जिनकी लागू लागू आता इन के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा रही है अध्यायी सं. 2 की ओर से लिखित कार्य पेश हुई। नकल 01 गवर्न पत्रावली कास्टे कलस अध्यायी दिनांक 16/12/20 को पेश हो।

16/12/20 व.फ. उपवा अध्यायी सुनी गरी पत्रावली कास्टे अवरलोकन / कास्टे दिनांक 23/12/20 को पेश हो।
 कादी
 Max pd.
 16/12/2020
 श्री
 Scpd Act.
 16.12.20

23/12/20 पत्रावली पेश हुई। व.फ. उपवा पत्रावली का अवरलोकन किया गया व अध्यायी पर मनन किया। मूल वाद तर्कामा व शर्तों निषेधात्मक काठि जो प्राथमिक डिकी हो चुका है। इसलिए प्रकाश में विचारित आराजी को रिकार्ड वर्मों के की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारण को जरिये अध्यायी निषेधात्मक से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि पक्षकारण के मध्य वाद काहलता न बंदे और न ही मूल वाद के निष्ठाण में जटिलताएं बंदे।

सहायक कलेक्टर
चौमू (जयपुर)




फर्द अहकाम

रामस्वकप बनाम नानू व अन्य

न्यायालय

संख्या 79/2020

नं. 1.

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>अति उभय पक्षकारान को तर्फे मूळ मूळ वाद विकसित भूमि अ.प्र.नं. 52/1 रकबा 0.70 हे. तर्फे ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर के रिकार्ड व माफे की बंधास्थिति बनाये रखे जाने के लिये जिरिये ठासुवाई निपेदासा से पाबंद किया जाला है पशावली कसल सुमा देका डम नम्बर से कम हो तथा मूळ वाद के साध बरे</p> <p> सहायक कलेक्टर चौमू (जयपुर)</p>	